

रेलवे भर्ती बोर्ड::सिकंदराबाद
सीईएन सं. 04/2024,पारामेडिकल
परिणाम - भाग- III

दिनांक 24.11.2025 से 27.11.2025 तक आयोजित दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर सीईएन 04/2024 - पारामेडिकल के तहत पूर्व तट रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति हेतु निम्नलिखित 11 (ग्यारह) अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से चयनित और अनुशंसित किया गया है। उनके रोल नंबर क्षैतिज आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं (मेरिट क्रम में नहीं)।

श्रेणी सं.01 (पू.त.रे.) – नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट				
28424011180309668	28424014120543429	28424014170030129	28424014170270563	28424014290210262
केवल 05(पाँच)				
श्रेणी सं.01 (दमरे) – नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट				
28424011120479380	28424011130662779	28424014240685062	28424015140465003	28424015280165190
केवल 05(पाँच)				
श्रेणी सं.11 (दमरे) – फार्मसिस्ट (एंटी गेड)				
28424114280434695	केवल 01 (एक)			

नियुक्ति संबंधी कार्रवाई, योग्यता शर्तों और मूल दस्तावेजों का आगे का सत्यापन (अर्थात् शैक्षिक/तकनीकी योग्यता जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र संबंधी पूर्ववृत्त आदि) की जांच प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/ पू.त.रे. एवं दमरे के कार्यालय द्वारा सीईएन संख्या 04/2024, पारामेडिकल में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थियों को क्रमशः प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी / पू.त.रे. एवं दमरे के कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण:

- i) यह परिणाम अनंतिम है और इससे अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी अनजाने त्रुटि/ टाइपोग्राफिकल गलती की स्थिति में परिणाम को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, यदि किसी अभ्यर्थी का नाम पैनल में शामिल किया जाता है या उसे नियुक्त किया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड परिणाम रद्द / संशोधित करने और ऐसे अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल होने को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले ही नियुक्त होने की स्थिति में योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत को मूलभूत आधार मानते हुए उसे सेवा से हटाया जा सकता है।
- ii) यदि कोई अभ्यर्थी चयन के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को सीईएन 04/2024, पारामेडिकल के सभी चयनित पदों के लिए नीचे दिए गए कारणों से उन्हें अस्वीकृत कर अयोग्य घोषित कर दिया गया हैः:

निर्धारित और ब्लॉक तिथि दोनों पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अनुपस्थित।

28424011240202332	28424011170012278	28424015170238371	28424015170224162	28424015170112498
28424011170365038	28424013280557263	केवल 07 (सात) अभ्यर्थी		
योग्यता मानदंडों में विसंगति				
28424012180447223	केवल 01 (एक) अभ्यर्थी			

दिनांक: 23.12.2025

अधोहस्ताक्षरी/-

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती बोर्ड/सिकंदराबाद